कार्यालय कलेक्टर जबलपुर

आदेश

8436/
कंमाक/ वि0लि0(3)11 — जबलपुर दिनॉक 11/11/11

श्रमायुक्त म0प्र0 इंदौर की अधिसूचना क्रमाक/1/9/अन्वे0/पांच/26638–937 इंदौर दिनांक 24/9/2011 एंव पत्र क्र0 29931–30230 दिनॉक 13/10/2011 के द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु दैनिक वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी शामिल है। जिसमें परिवर्तन सूची "क" दिनांक 1/10/2011 से 31/3/2012 तक देयं न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित मासिक एवं दैनिक दरें निर्धारित की गई है।

म0प्र0 शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रंमाक 303/आर/577/92/नि–5/4 दिनांक 30 जून 1992 तथा म0प्र0 राज्य के प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहीत प्रावधान सहपठित म0प्र0 श्रम विभाग की अधिसूचना क्रं./3761/613/16–ए/82 दिनांक 25/5/1982 के अनुसरण में म0प्र0 वित्त सहिंत भाग–2 परिशिष्ट कंडिका 43 में निहीत शक्तियों के अनुसार मैं गुलशन बामरा (आई.ए.एस.) कलेक्टर जिला जबलपुर के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु अनुसूची "क" में दर्शाये अनुसार परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की मासिक एवं दैनिक दर अवधि 1/10/2011 से 31/3/2012 तक प्रभावशील रहेगा।

अनुसुचि–क

म0प्र0 के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है:–

क्रं.	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउन्ड अप कर दैनिक दरें
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1.	अकुशल	3070.00	102.33	1475.00	49.16	4545.00	151.49	151.00
2.	अर्धकुशल	3200.00	106.66	1475.00	49.16	4675.00	155.82	156.00
3.	कुशल	3350.00	111.66	1475.00	49.16	4825.00	160.82	161.00

5७4

1. स्पष्टीकरणः— मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राउन्ड अप करके ही दैनिक ए मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त बिभाग के परिपत्र कमांक /एफ/9–7/2006/नियम/

दिनांक 20 सितंबर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो उन्हें अगले उच्चतर रूपये पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

2. विशेष टीपः— उपयुक्त अनुसूची क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 तीस दिन से विभाजित कर व गई है। इसलिये सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा अर्था मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिये कोई कटौती नहीं की जावेगी।

(गुलशन बामरा)
कलेक्टर
जबलपुर

पृ.कमांक/8436/वि0लि0–3/11 जबलपुर दिनांक/11/11/2011

प्रतिलिपिः—

1. सचिव म0प्र0 शासन वित्त विभाग भोपाल।
2. महालेखागार म0प्र0 ग्वालियर।
3. श्रमायुक्त म0प्र0 इंदौर।
4. कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
5. कलेक्टर जिला मंडला/सिवनी/बालाघाट/छिंदवाड़ा/नरसिंहपुर/डिंडौरी/कटनी
6. प्रभारी अधिकारी ....जिला जबलपुर।
7. सर्व जिला विभाग प्रमुख..........................जिला जबलपुर।
8. जिला /सिटी कोषालय अधिकारी जबलपुर।
9. आयुक्त नगर निगम जबलपुर।
10. अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर/पाटन/सिहोरा/कुंडम जिला जबलपुर।
11. तहसीलदार जबलपुर /पाटन /सिहोरा/शहपुरा/मझौली/कुंडम/पनागर जिला जबलपुर।
12. सहायक श्रमायुक्त जबलपुर।
13. जिला जन संपर्क अधिकारी जबलपुर की ओर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

कलेक्टर
जबलपुर